

श्रीमान जी,



UCMS : 2020/00152

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार पुत्र बलवंत राम जाति सुथार निवासी 32 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री बलवंत राम पुत्र बींझा राम जाति सुथार निवासी 32 एमएल तहसील रायसिंहनगर व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 05.06.2014 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 10.04.2015 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 05.06.2014 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाह बलदेव सिंह पुत्र प्रताप सिंह एवं इन्द्रजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री राजेन्द्र ग्रीवर अधिवक्ता ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है 05/12/2020

जिला पंजीयक महोदय

4